

## राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की

### धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

#### भाग-1

##### (प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

**परियोजना विवरण :-**

- 1    क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।  
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप  
 ग) परियोजना की लागत।  
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य  
 ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)  
 च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :—
- 2    कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :—
- 3    परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :—  
 क) परिवारों की संख्या :—  
 ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या  
 ग) पुर्ववास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)
- 4    क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)
- 5    प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये)
- 6    निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।

तिथि .....  
 स्थान – थराली

सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

संलग्न है।

रु0 38.40 लाख

सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।  
 संलग्न है।

कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

0.310 हेठल, 1.322 हेठल वन पंचायत, कुल 1.632 हेठल वन भूमि

शून्य

शून्य

शून्य

अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

संलग्न है।

अनुसूची संलग्न है।

*On/Off 5/1-5/21*

(इं० सत्यीर सिंह)

अधिकारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

थराली, (चमोली)

सहायक *अभियन्ता*  
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
 थराली (चमोली)

*४६*